

कार्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा एवं उप संचालक कृषि जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)

विज्ञापन क्र. 4896 / स्था. / एक्स.रि. / नियुक्ति / 2019-20 जशपुर दिनांक 14-09-2020

संचालक कृषि छ.ग. रायपुर के पत्र क्र/ एक्स.रि. / ATMA C. Staff/21-3/19-20/11724 रायपुर दिनांक 04.12.2019 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजना के क्रियान्वयन हेतु विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (BTM), सहायक टेक्नोलॉजी मैनेजर (ATM) सविदा के रिक्त पदों के नियुक्ति हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

न्यूनतम योग्यताएँ, अपेक्षाएँ एवं अन्य विवरण नीचे पद के सामने अंकित है।

क्र	पद का नाम	सविदा दर प्रतिमाह वेतन	अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.पि.वर्ग			योग				कुल योग	सविदा अवधि	शैक्षणिक योग्यताएँ								
			मुक्ता	महिला	नि:शक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	नि:शक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता	महिला	नि:शक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	मुक्ता				महिला	नि:शक्तजन	भूतपूर्व सैनिक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (BTM) अन्य व्यय (BTM)	25000/- - 5000/-	1	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	7	03 वर्ष	कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि बाजार में स्नातक डिग्री / मास्टर डिग्री एवं कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय कृषि से संबंधित संस्था से कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव वाले को अतिरिक्त अंक प्रदाय किये जायेंगे।
2	सहायक टेक्नोलॉजी मैनेजर (ATM) अन्य व्यय (ATM)	20000/- - 4000/-	2	1	0	0	5	3	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	9	5	1	1	16	03 वर्ष	कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि बाजार में स्नातक डिग्री / मास्टर डिग्री एवं कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय कृषि से संबंधित संस्था से कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव वाले को अतिरिक्त अंक प्रदाय किये जायेंगे।
योग-			3	1	0	0	8	4	1	1	2	0	0	0	0	2	1	0	0	15	6	1	1	23		


प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा)
एवं उप संचालक कृषि
जिला-जशपुर (छ0ग0)

नियम एवं शर्तें:-

01. आयु सीमा - 01 जनवरी 2020 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। एवं सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए संविदा नियुक्ति के नियमानुसार अधिकतम 65 वर्ष होगी तथा अन्य आवेदकों लिए शासन के नियमानुसार आयु सीमा लागू होगी।
02. नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर गठित आत्मा गवर्निंग बॉडी का निर्णय अन्तिम होगा। “नियुक्ति हेतु नियमानुसार एक से अधिक पदों के लिये आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा।” ए-4 साईज पेपर में निर्धारित आवेदन प्रारूप में कार्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) एवं उप संचालक कृषि जिला-जशपुर (छ0ग0) के पते में डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार्य है। कार्यालय में सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
03. यह संविदा नियुक्ति अवधि तीन वर्ष के लिये है एवं पद पूर्णतः अस्थायी है। उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार के प्रति पूर्ति योग्य होगा। योजना चाबू रहने की स्थिति में तथा कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जा सकती है एवं योजना समाप्त होने पर यह पद स्वयंमेव समाप्त हो जावेगे। किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा इन पदों का व्यय भार वहन नहीं किया जावेगा।
04. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 में निहित शर्तों के अनुसार कि जावेगी।
05. चयन प्रक्रिया - शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित अनुभव के आधार पर मेरीट सूची तैयार की जावेगी। जिससे मेरिट को रिक्त पद के विरुद्ध चयन किया जावेगा। भर्ती उपरांत शेष पात्र उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा।
06. आवेदन के साथ 02 पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ एवं 05-05 रुपये की डाक टिकट लगा हुआ एवं आवेदक का पता लिखा हुआ 02 लिफाफे संलग्न करें।
07. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, अनुभव, जाति, निवास संबंधी प्रमाण पत्र राजपत्रित / स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।
08. आवेदक को जशपुर जिला का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
09. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.06.2020 है। इसके अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म चयन परीक्षण उपरांत मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
12. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।



13. उम्मीदवार लिफाफे के उपर विज्ञापित पद का नाम एवं अपनी श्रेणी (अनारक्षित / अन्य पि.वर्ग / अ.जा./ अ.ज.जा.) अवश्य लिखें। अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
14. परिस्थिति वश एवं आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी एवं वृद्धि अथवा विज्ञप्ति पूर्ण भाग / अंशिक भाग निरस्त की जा सकती है।
15. अलग-अलग पद के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
16. आवेदन पत्र का प्रारूप जिला के वेबसाईट <http://jashpur.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
17. चयन उपरांत शैक्षणित योग्यता एवं अन्य अर्हता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


प्राजैक्ट डायरेक्टर (आत्मा)
एवं उप संचालक कृषि
जिला-जशपुर (छ0ग0)